

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

थी विष्णुलाल विपक्षी राज्य
 स्म मुकदमा वाद् पत्रावली संख्या 264/17 सन् _____

मांक _____ कार्यवाही विवरण _____ हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई _____

4/9/25
 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप पत्रावली वादी
 के लिये मौक़ा चाहते हैं। अतः राज्य वादी
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 23/9/25
 कोपेश हो।
 (SDO) मावली

23/9/25
 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप पत्रावली वादी
 के लिये मौक़ा चाहते हैं। अतः राज्य वादी
 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 4/11/25
 कोपेश हो।
 (SDO) मावली

04/11/25
 पत्रावली पेरा हुई। अधिवक्ता वादी मय स्वयं
 वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी
 को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय साँय
 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता
 अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय
 स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद् अदम
 हाजरी अदम पेंचवी में खारिज किया जाता है।
 पत्रावली फँसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।
 निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
 (SDO) मावली

